भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 717

गुरुवार, दिनांक 07 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>सोलर पैनलों का आयात</u>

717. श्री ओम पवन राजेनिंबालकरः
श्री संजय जाधवः
श्री विनायक भाऊराव राऊतः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सौर ऊर्जा उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले सौर पैनलों/उपकरणों का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान वर्ष सहित विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने सौर पैनलों का आयात किया गया और उन पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(घ) सौर पैनलों और उपकरणों का निर्माण करने वाले देशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उन देशों का ब्यौरा क्या है जहाँ से सौर पैनलों और उपकरणों का आयात किया जा रहा है;

(च) क्या सरकार का देश में सौर पैनलों और उपकरणों का विनिर्माण करने का विचार है;

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) उक्त प्रयोजन के लिए विनिर्माताओं को क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग): भारत में सौर पैनलों का निर्माण किया जाता है और साथ ही, विभिन्न देशों से आयात भी किया जाता है। वाणिज्य विभाग के निर्यात-आयात डेटा बैंक से संबंधित वेबसाइट के अनुसार, वर्तमान वर्ष सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में आयातित सौर पैनलों के देश-वार ब्यौरे अनुलग्नक-**I** में दिए गए हैं।

(घ) सौर पैनलों का निर्माण करने वाले कुछ प्रमुख देशों में चीन, वियतनाम, मलेशिया, भारत आदि शामिल हैं।

(ङ) देश, जहां से भारत में सौर पैनलों का आयात किया जा रहा है, के ब्यौरे अनुलग्नक-**I** में दिए गए हैं।

(च) से (ज): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार देश में सौर पैनलों और संबंधित उपकरण के निर्माण में वृद्धि करने के लिए लगातार नीतियां बना रहा है। कुल पहलों में, अन्य के साथ-साथ अनुलग्नक-**II** में दी गई पहलें शामिल हैं:

<u>अनुलग्नक-I</u>

"सोलर पैनलों का आयात" के संबंध में पूछे गए दिनांक 07.12.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या-717 के भाग (क) से (ग) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**I**

देश	आयात का मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में				
	वर्ष **2019-20*** **(**एचएस कोड **85414011)** **(**सौर पीवी सेल एवं मॉड्यूल**)**	वर्ष **2020-21*** **(**एचएस कोड **85414011)** **(**सौर पीवी सेल एवं मॉड्यूल**)**	वर्ष **2021-22*** **(**एचएस कोड **85414012)** **(**सौर पीवी मॉड्यूल**)**	वर्ष **2022-23*** **(**एचएस कोड **85414300)** **(**सौर पीवी मॉड्यूल**)**	वर्ष **2023-24*** **(**सितंबर**, 2023** तक**)** **(**एचएस कोड **85414300)** **(**सौर पीवी मॉड्यूल**)**
एंगुइला					
ऑस्ट्रेलिया			0.22		
ऑस्ट्रिया					
बांग्लादेश पीआर					
बेल्जियम					
कंबोडिया	5.97	6.69			0.02
कनाडा	7.92	0.8			
काग़ज़ का टुकड़ा		0.24			
चिली					0.2
ताइवान	20.97	11.28	0.13		
चीन पीआरपी	1307.03	494.87	3075.32	874.89	501.9
चेक रिपब्लिक					
डेनमार्क					
मिस्र एआरपी					
फिनलैंड					
फ्रांस		0.06			
जर्मनी	3.73	0.03	0.21	0.13	0.02
यूनान					
हांगकांग	31.3	3.22	229.12	3.04	121.82
हंगरी					
इंडोनेशिया	0.11	0.01			
इजराइल					0.06
इटली	0.27	0.16			
जॉर्डन					
जापान	3.41	0.15			0.01
केन्या					
कोरिया डीपी आरपी					
कोरिया आरपी	1.72	0.16			
लिथुआनिया					
लक्समबर्ग			0.01		
मलेशिया	3.91	7.46	31.43	1.24	43.08
मेक्सिको					
म्यांमार	0.98	5.78			
नीदरलैंड					
नॉर्वे					
ओमान					

देश	आयात का मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में				
	वर्ष **2019-20*** **(**एचएस कोड **85414011)** **(**सौर पीवी सेल एवं मॉड्यूल**)**	वर्ष **2020-21*** **(**एचएस कोड **85414011)** **(**सौर पीवी सेल एवं मॉड्यूल**)**	वर्ष **2021-22*** **(**एचएस कोड **85414012)** **(**सौर पीवी मॉड्यूल**)**	वर्ष **2022-23*** **(**एचएस कोड **85414300)** **(**सौर पीवी मॉड्यूल**)**	वर्ष **2023-24*** **(**सितंबर**, 2023** तक**)** **(**एचएस कोड **85414300)** **(**सौर पीवी मॉड्यूल**)**
फिलिपींस	0.04			0.01	
पोलैंड					
पुर्तगाल					
कतर					
रूस	0.02	0.04			
सऊदी अरब		0.01			
सिंगापुर	31.32	6.69	22.76	24.09	12.65
स्लोवाक प्रतिनिधि					
स्पेन	0.18	0.1	0.13	0.33	
श्रीलंका डीएसआर	1.28				
सेंट हेलेना					
स्वाजीलैंड			0.08		
स्वीडन					
स्विट्ज़रलैंड		0.01	3.78		0.08
थाईलैंड	120.47	18.76	0.01	0.01	0.01
ट्यूनीशिया	0.01				
टर्की					
संयुक्त अरब अमीरात	0.43			0.13	
यूके	0.02	0.06			
यूएसए	2.57	0.03		0.03	0.63
वियतनाम सामाजिक प्रतिनिधि	140.63	14.97		39.63	455.8
जाम्बिया					
अनिर्दिष्ट		0.07			
कुल **(**मिलियन अमेरिकी डॉलर**)**	**1684.29**	**571.65**	**3363.20**	**943.53**	**1136.28**

***** *वित्त वर्ष 2020-21 तक, सौर सेल, चाहे उन्हें मॉड्यूलों में एसेंबल किया गया हो या नहीं, एचएस कोड 85414011 के तहत वर्गीकृत किया गया था।*

वित्त वर्ष 2021-22 में सौर पीवी सेलों के लिए एचएस कोड 85414011 को रखा गया था और सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए नया एचएस कोड 85414012 बनाया गया था।

इसके बाद, वर्ष 2022-23 से सौर पीवी सेलों और सौर पीवी मॉड्यूलों (केवल आईटीए-1 मदों के साथ विशेष रूप से उपयोग किए गए को छोड़कर) को क्रमश: एचएस कोड 85414200 और 85414300 के तहत रखा गया।

"सोलर पैनलों का आयात" के संबंध में पूछे गए दिनांक 07.12.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या-717 के भाग (च) से (ज) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**II**

देश में सौर पैनलों एवं उपकरणों के निर्माण में वृद्धि करने के लिए की गई पहलों में अन्य के साथ-साथ शामिल हैं:

(i) उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना: भारत सरकार द्वारा 24,000 करोड़ रु. के परिव्यय से उच्च दक्षता के सौर पीवी मॉड्यूलों में गीगावाट स्तर की स्वदेशी निर्माण क्षमता हासिल करने के लिए राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम के तहत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्सान (पीएलआई) योजना कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना दो भागों में कार्यान्वित की जा रही है। भाग-I के तहत 4,500 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रावधान है, जिसके तहत 8737 मेगावाट की पूर्णत: एकीकृत सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण यूनिटों की स्थापना के लिए आवंटन पत्र जारी किए गए हैं। 19,500 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ भाग-II के लिए 39,600 मेगावाट की पूर्णत:/अंशत: एकीकृत सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए आवंटन-पत्र जारी किए गए हैं।

(ii) स्वदेशी सामग्री की आवश्यकता (डीसीआर): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की कुछ वर्तमान योजनाओं जैसे सीपीएसयू योजना चरण-II, पीएम-कुसुम घटक-ख तथा ग्रिड संबद्ध रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-II के अन्तर्गत, जिनमें कि सरकारी सब्सिडी दी जाती है, स्वदेशी स्रोतों से सौर पीवी सेलों तथा मॉड्यूलों को प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है।

(iii) सार्वजनिक खरीद में 'मेक इन इंडिया को वरीयता': 'सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश' के कार्यान्वयन के माध्यम से स्वदेशी निर्मित सौर पीवी मॉड्यूलों और सौर इन्वर्टरों की खरीद और उपयोग को सरकार एवं सरकारी एजेंसियों के लिए अनिवार्य बना दिया गया है।

(iv) सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क लगाना: सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2022 से सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) लगाया गया है।

(v) सीमा शुल्क रियायत समाप्त करना: एमएनआरई ने दिनांक 02.02.2021 से सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं की आरंभिक स्थापना के लिए सामग्री/उपकरण के आयात के लिए सीमा शुल्क रियायत प्रमाण-पत्र जारी करना बंद कर दिया है।

*****